

26.08.2020 फगावली पेशा / वकील वादी सेव वादीगण  
अनुपस्थित । रुक-रुक कर तीन-चार  
आवाज लगवाई गई, बावजूद इसके  
कोई उपस्थित नहीं । इसके प्रतीत  
होगा है कि वादी सेव वकील वादी



अपने दावे को लेकर गंभीर  
नहीं हैं अतः दावा अक्षम  
होगा, अक्षमपैली से इसी  
द्वारा पर खारिज किया जाता है  
पतावली फ़ैसल शुभार लेकर  
नंबर से कम की जाकर दाखिल  
दफ़्तर के।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट ट्रैक) सांचौर (जालौर)